न्यायालय
उपखण्ड अधिकारी
बसवा (दौसा)

तौफली बनाम [illegible]

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर जो
	मु० नं० भरणपोषण 01/2023	
21-5-24	पत्रावली पेश हुई बहस सुनी गई पत्रावली वास्ते निर्णय आ.ता. 18-6-24 को पेश हो। (हस्ताक्षर) उपखण्ड अधिकारी बसवा (दौसा)	
18-6-24	पत्रावली पेश हुई बहस सुनी गई, निर्णय पृथक से लिखा गया, जो शामिल मिसल है। पत्रावली कॉमल शुमार होकर दाखिल दफ्तर होकर, [illegible] से जमा हो (हस्ताक्षर) उपखण्ड अधिकारी बसवा (दौसा)	

उप जिला कलेक्टर एवं उप जिला मजिस्ट्रेट

न्यायालय उपजिला कलक्टर एवं उप जिला मजि. बसवा
जिला–दौसा

प्रकरण संख्या :– 01/2023
निर्णय दिनांक :–18.6.2024
प्रकरण :– अंतर्गत भरण पोषण अधिनियम 2007

पीठासीन अधिकारीः– रेखा मीना, RAS
उपखण्ड अधिकारी, बसवा (दौसा)

प्रकरण :– The Maintenance and Welfare Of Parents and Citizen Act 2007 Under Section 4, 5 and 23

प्रकरण का उनवान

तोफली पत्नी भोमा जाति ब्राहगण निवासी ग्राम गुढाकटला तहसील बसवा जिला–दौसा

(प्रार्थिया)

बनाम

1. ब्रहमदत्त पुत्र भोमा जाति ब्राहगण निवासी ग्राम गुढाकटला तहसील बसवा हाल निवासी सी–2,ग्रीन एवन्स कॉलोनी, अमृतसर (पंजाब)
2. गिरधारी पुत्र भोमा जाति ब्राहमण निवासी ग्राम गुढाकटला तहसील बसवा जिला–दौसा
3. राजेन्द्र पुत्र भोमा जाति ब्राहमण निवासी ग्राम गुढाकटला तहसील बसवा जिला–दौसा
4. लक्ष्मीनारायण पुत्र भोमा जाति ब्राहमण निवासी ग्राम गुढाकटला तहसील बसवा जिला–दौसा– हाल निवासी 647, जमालपुर कॉलोनी, लुधियाना (पंजाब)

(अप्रार्थीगण)

–:निर्णय :–

दिनांक :– 18.6.2024

उपस्थिति :– प्रार्थिया की ओर से एडवोकेट श्री नवीन गुर्जर
अप्रार्थी संख्या 1 व 2 की ओर से एडवोकेट श्री विजय कुमार

पत्रावली पेश हुई । प्रकरण का संक्षिप्त वृतांत इस प्रकार है कि प्रार्थिया द्वारा जरिये एडवोकेट श्री नवीन कुमार गुर्जर के अप्रार्थीगण ब्रहमदत्त पुत्र भोमा वगैरह के विरूद्ध एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 4, 5 एवं 23 दी मेंटीनेंस एण्ड वैलफेयर ऑफ पेरेन्ट्स एण्ड सीनियर सिटीजन एक्ट 2007 के तहत न्यायालय हाजा में इस आशय का प्रा.पत्र पेश किया कि प्रार्थिया 88 वर्षीय विधवा महिला है जो अब शारीरिक रूप से भी वृद्धावस्था के कारण कमजोर हो गई है एवं पति की मृत्यु दिनांक 4.4.2011 को हो चुकी है । अप्रार्थीगण 1 लगायत 4 प्रार्थिया के पुत्र हैं एवं अपना–अपना निजी व्यवसाय कर रहे हैं । अप्रार्थीगण संख्या 1 अमृतसर, पंजाब, गिरधारी होश्यारपुर,पंजाब तथा राजेन्द्र अमृतसर, पंजाब एवं लक्ष्मीनारायण लुधियाना पंजाब में निवास कर रहे हैं । प्रार्थिया एवं प्रार्थिया के पति भोमाराम ने अप्रार्थीगण का पालनपोषण, पढाई लिखाई, शादी विवाह सभी अपने खर्चे पर किया एवं अप्रार्थीगण के व्यवसाय शुरू करने में भी राशि खर्च की । अप्रार्थीगण को वर्ष 1970 में प्रार्थिया ने अपने भाईयों रमेश, राधामोहन के सहयोग से लुधियाना, पंजाब में प्रार्थिया एवं प्रार्थिया के पति ने स्वयं की लागत लगवाकर व्यवसाय शुरू करवाया । प्रार्थिया डेढ वर्ष से बीमार चल रही है, प्रार्थिया अपनी बीमारियों के कारण डाक्टर की सलाह अनुसार शारीरिक रूप से कमजोर होने के कारण तथा अप्रार्थी संख्या 1 व 2 द्वारा मानसिक व शारीरिक रूप से प्रताडित करने के कारण अपना अधिकांश समय अकेले ही गुजारने पर विवश होना पड रहा है । प्रार्थिया को प्रति माह करीब 7000/–रूपये दवाईयों का खर्चा होता है, डॉक्टर की हिदायत अनुसार खान पान पर करीबन 10,000/–रूपये का खर्चा होता है । बिजली का बिल करीबन 3000/–रूपये आता है, इसके अलावा अन्य दैनिक जरूरतों पर भी प्रार्थिया का खर्चा 3000/–रूपये होता है, अप्रार्थीगण द्वारा सार संभाल नहीं करने के कारण प्रार्थिया ने अपनी देखभाल के लिये श्रीमती मुन्ना पत्नी धोल्या जोगी निवासी गुढाकटला को रखा हुआ है जिसका 7000/–रूपये

उपखण्ड अधिकारी
बसवा (दौसा)

प्रतिग्रह देना पडता है । प्रार्थिया एवं प्रार्थिया के पति ने ही अप्रार्थीगण की परवरिश की है, मिन्हे पढा लिखाकर योग्य बनाया है, उनके विवाह व्यवसाय वगैरह कार्यो पर प्रार्थिया एवं प्रार्थिया के पति द्वारा ही खर्चा किया गया है । प्रार्थिया द्वारा अपने जीवन का संपूर्ण समय व धन अप्रार्थीगण को सक्षम बनाने में व्यतीत किया है । किंतु अब बीमारी एवं वृद्धावस्था के कारण असहाय हो गई एवं अप्रार्थीगण ब्रहमदत्त, गिरधारी द्वारा प्रार्थिया के साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है । जीवन निर्वाह में सहयोग नहीं करने से न्यायालय की शरण लेनी पडी है । पूर्व में अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा प्रार्थिया की पुत्रियों विमला व सुशीला को धमकी दी की तुम तुम्हारी भूमि अप्रार्थी संख्या 1 के नाम कर दो वरना तुम्हारी मां प्रार्थिया को नशे की दवाइया देकर जान से मार दूंगा । पूर्व में अप्रार्थी संख्या 1 के द्वारा दिनांक 18.8.2022 को प्रार्थिया को भयतभीत करके प्रार्थिया की भूमि का हक त्याग अपने नाम करवा लिया । अप्रार्थीगण संख्या 3 द्वारा प्रार्थिया के जीवन निर्वाह के लिये मूलभूत सुविधाओं एवं मूलभूत शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये अप्रार्थी संख्या 3 के द्वारा संपूर्ण खर्चा दिया जा रहा है । अप्रार्थी संख्या 4 आर्थिक रूप से कमजोर है परंतु वह भी प्रार्थिया की सेवा करता है एवं यथासंभव सहयोग भी करता है, परंतु अप्रार्थी संख्या 1 व 2 द्वारा अपने पुत्र धर्म का निर्वहन नहीं किया जा रहा है । अप्रार्थी नं. 1 व 2 का यह विधिक एवं नैतिक कर्त्तव्य है कि वे प्रार्थिया की सेवा करें उनके साथ मानपीट ना करें तथा प्रार्थिया के फोन को हैक करके उस पर रखी जा रही निगरानी को बंद करें तथा प्रार्थिया के जीवन निर्वाह के लिये मूलभूत सुविधाओं एवं मूलभूत आवश्यकताओं पर होने वाले खर्चे करीबन 30000/—रूपये प्रति माह दिलवाया जावे । 7500 — 7500 रूपये अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 से प्रत्येक माह दिलवाया जावे । साथ ही अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 से अंतरिम अनुतोष हेतु प्रत्येक से 20000/— — 20000/—रूपये दिलवाया जावे ताकि प्रार्थिया अपने हकअधिकारों एवं सुरक्षा के लिये न्यायालयों में किये जाने वाले मुकदमों की पैरवी के लिये अधिवक्ताओं की फीस का भुगतान कर सके तथा अपनी दैनिक मूलभूत सुविधाओं एवं आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके ।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर, अप्रार्थीगणों को नोटिस जारी किये गये । अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 की ओर से एडवोकेट श्री विजय कुमार मिश्रा द्वारा दिनांक 20.7.2023 को वकालतनामा पेश किया, किंतु उनके द्वारा आदिनांक तक 1 वर्ष 10 माह गुजरने के उपरांत ही न तो जवाब पेश किया एवं न ही इस प्रा.पत्र के विरूद्ध कोई उज्र ही न्यायालय के सम्मुख पेश किया । अप्रार्थी संख्या 3 व 4 बाद तामील भी उपस्थित नहीं आए, लिहाजा उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई

प्रार्थी वकील की बहस सुनी गई । प्रार्थी वकील द्वारा अपने प्रा.पत्र वास्ते भरण पोषण के बिन्दुओं को दोहराया एवं प्रार्थिया को भरण पोषण दिलवाने की पुरजोर पैरवी की गई ।

हमने बहस अधिवक्ता सुनी गई एवं पत्रावली का गहन अवलोकन किया गया, प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रा.पत्र अंतर्गत धारा 4, 5 एवं 23 दी मेंटीनेंस एण्ड वैलफेयर ऑफ पेरेन्ट्स एण्ड सीनियर सिटीजन एक्ट 2007 आंशिक रूप से इस हद तक स्वीकार किया जाता है कि प्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 4 प्रार्थिया के पुत्र हैं जिनकी नैतिक एवं कानूनी जिम्मेदारी है कि वे अपनी वृद्ध एवं बीमार माता की देखभाल, पालन पोषण के साथ सम्मानजनक व्यवहार करें । किंतु प्रार्थिया के प्रा.पत्र का मुलायजा फरमाने एवं पत्रावली पर उपलब्ध रिकोर्ड अनुसार यह स्पष्ट है कि प्रार्थिया की आयु 88 वर्ष हो चुकी है, जो उसकी पूर्णतया वृद्धावस्था की अवस्था को दर्शित करती है । विधवा प्रार्थिया को उनकी उम्र के आखिरी पडाव में अपने भरण पोषण के लिये न्यायालय की शरण लेनी पडी, जबकि प्रार्थिया के पास उसकी आय का कोई निरंतर व स्पष्ट आधार नहीं है, ऐसी दशा में प्रार्थिया को अप्रार्थी संख्या 1 से 4 से प्रतिमाह नियत राशि दिलवाने के लिये आदेश किया जाना उचित प्रतीत होता है, जिससे प्रार्थिया उनका शेष बचा जीवन सम्मानजनक एवं बिना किसी अन्य पर निर्भर हुए गुजार सके ।

अतः आदेश दिये जाते हैं कि अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 4 (चारों पुत्र) प्रति माह की 10 तारीख तक राशि 7000/— 7000/—रूपये (सात हजार रूपये — सात हजार रूपये) प्रार्थिया तोफली देवी को अदा करेंगे । उक्त भरण पोषण राशि 7000/— — 7000/—रूपये (कुल अठाइस हजार रूपये) प्रत्येक अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थिया के जीवित रहने तक अदा किया जावेगा । साथ ही प्रार्थिया ने अंतरिम अनुतोष की जो राशि चाही है, उसके संबंध में भी आदेश दिया जाता है कि प्रत्येक अप्रार्थी 1 से 4 तक 10—10,000/—रूपये (दस हजार — दस हजार रूपये) कुल 40,000/—रूपये प्रार्थिया को एकबारीय प्रदान करेंगें । यदि अप्रार्थीगण उक्त भरण पोषण की राशि अदा नहीं करते हैं तो प्रार्थिया

उपखण्ड अधिकारी
लालसोट (दौसा)

नियमानुसार कार्यवाही करके वसूल करने की अधिकारी होगी । अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 4 को इस आदेश से भी पाबंद किया जाता है कि प्रति माह प्रदान किये जाने वाले 7000/—रूपये (पृथक—पृथक) चारों पुत्रों की कुल राशि 28,000/—रूपये एवं एकबारीय अंतरिम अनुतोष राशि 10000/रूपये (पृथक—पृथक) चारों पुत्रों की कुल राशि 40,000/—रूपये का अप्रार्थीगण स्वयं अथवा उनका कोई वारिस, प्रार्थिया से उक्त राशि के खर्चे का कोई हिसाब—किताब नहीं लेंगे । प्रार्थिया अपनी इच्छानुसार उक्त राशि का उपयोग व उपभोग कर सकेगी ।

प्रार्थिया द्वारा चाही गई अन्य रिलिफ अस्वीकार की जाती हैं, प्रार्थी को जो अन्य रिलिफ वांछित हैं उनके लिये वह सक्षम न्यायालय/कार्यालय में चाराजोई करके, अनुतोष प्राप्त करने के लिये स्वतंत्र होंगी ।

आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया । पत्रावली फैसल शुमार होकर, दाखिल दफ्तर होकर नंबर से कम होकर, दाखिल दफ्तर हो ।

(रेखा मीना)
उपखण्ड अधिकारी लवाण
उपखण्ड अधिकारी
जिला (दौसा)
लवाण (दौसा)

उप जिला कलेक्टर एवं उप जिला मजिस्ट्रेट ★ लवाण (दौसा) राज. ★